IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में मादक द्रव्य व्यसन

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

राजकीय महिला महाविद्यालय ढिंढुई पट्टी (प्रतापगढ़)

सारांश : प्राचीन समय से ही मादक पदार्थों का उपयोग विविध रूपों मे हो रहा हैं ɩ मादक पदार्थों की उपयोगिता स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण मे लंबे समय से रही हैं लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुधा लत के रूप मे होने लगा हैं ɩ व्यक्ति निजी कारणों से इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा मे करने लगा हैं और एक तरह से वह व्यसनी हो गया हैं ɩ व्यसनी होने के कारण व्यक्ति का निजी और सामाजिक परिवेश दूषित हो गया हैं और वह विघटन का शिकार हो गया हैं ɩ प्रस्तुत शोध पत्र मे विविध पक्षों का विश्लेषण किया गया हैं और यह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं ।

मुख्य शब्द . मादक पदार्थ युवा पीढ़ी अफीम रुग्णता आत्महत्या

मादक द्रव्य दुरूपयोग एक विश्वव्यापी खतरा बन गया है स मादक द्रव्यों की लत के अभिशप से विश्व का कोई भाग अछुता नहीं है ɩ मादक द्रव्यों का दुरूपयोग एक गम्भीर चिंता के रूप में सामने आया है जो देशे के भौतिक एवं सामाजिक कल्याण को प्रभावित कर रहा है ɩ इसका प्रभाव समाज के विविध वर्गों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पडता है। भारत में युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों के दुरूपयोग का रोग अप्रत्याशित ढंग से बढ़ा ɩ आधुनिक समय के जीवन के तनाव ने व्यक्ति को मादक द्रव्यो के दुरूपयोग की समस्या की ओर उन्मुख कर दिया है ɩ शराब एवं मादक द्रव्यों की लत से न केवल सेवन करने वाले व्यक्ति बल्कि परिवार एवं समाज को भी बहुत ही प्रभावित करता है ɩ मादक पदार्थों का विभिन्न रूपों में सेवन प्राचीन काल से ही भारत एवं विश्व के अनेक देशों में होता रहा है। मनुस्मृति और वैदिक ग्रंथों में सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर सुरा ए धतूराए भांगए गांजा आदि मादक पदार्थों के सेवन का उल्लेख मिलता है। मादक पदार्थों के अंतर्गत भांगए गांजाए हसीसए हेरोइनए चरसए स्मैकए अफीमए कोकीन आदि आते हैं। उक्त पदार्थों के सेवन अर्थात् मादक द्रव्य व्यसन की समस्या आज पूरे समाज को खोखला कर राष्ट्र के नवनिर्माण में बाधक बन रही है।

मादक द्रव्य व्यसन का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता अर्थात् मादक पदार्थों के सेवन न करने की स्थिति में शरीर में दर्दए बेचैनीए रूग्णता आदि महसूस होना। दूसरे शब्दों में मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की निरन्तर आवश्यकता महसूस होती रहती है । आज मादक पदार्थों का सेवन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की चकाचौंध में खोये परिवारों द्वारा विभिन्न अवसरों पर नशा करना शिष्टाचार और जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। एक तरफ संसार से ऊबे हुए लोग चिन्तामुक्त एवं स्वच्छन्द जीवन जीने की लालसा में मानसिक शांति हेतु मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो दूसरी ओर युवा पीढ़ी प्रतियोगिता की कठिनताए सपनों का टकरावए पाठ्यक्रमों की नीरसताए अंदर ही अंदर कसकते-सिसकते तनाव से मुक्त एवं कल्पनाओं के स्वप्निल संसार में खोने की अदम्य लालसा के कारण नशीली दुनिया में प्रवेश करती है। साथ ही कुछ लोग प्रारम्भ में इनका सेवन औषधीय रूप मेंए निद्रा लाने व दर्द निवारक के रूप मेंए चिन्ताए तनावए कुन्ठाए उदासी आदि दूर करने के लिएए जिज्ञासा शान्त करने के लिएए असफलता मिलने पर हीन भावना दूर करने के लिएए मित्रता के दबाव मेंए पारिवारिक सदस्यों के अनुकरण मेंए थकान मिटाने व मौज-मस्ती आदि के उद्देश्य से भ्रमवश करते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति मादक पदार्थों के शिकंजे में धीरे-धीरे फंसता चला जाता है।

मादक पदार्थों के सेवन के फलस्वरूप न केवल विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां पैदा होती हैं अपितु व्यक्तिए परिवार व समाज के विघटन के साथ-साथ अपराधों की वृद्धि व पुलिस-प्रशासन और व्यवस्थाओं की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। लम्बे समय तक अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर निष्क्रिय व कमजोर हो जाता हैए रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं विभिन्न प्रकार के प्राणघातक रोग पैदा हो जाते हैं। शारीरिक दुष्प्रभावों के साथ-साथ मानसिक क्षमता का भी ह्रास होने लगता है व व्यसनीए क्रोधीए चिड़चिड़ा होने के साथ-साथ अपनी अपनी भावनात्मक बौद्धिक शक्ति के खो देता है। व्यसनी की कार्यक्षमता बुरी तरह से कम होने लगती है। आय का अधिकांश भाग नशे की भेंट चढ़ जाता है। फलतः अनेकों प्रकार की समस्याएं यथा अपराधए दुर्घटनाए आत्महत्या आदि का ग्राफ बढ़ जाता है।

ड्रग एवं सामान्य लोगों में मादक द्रव्यों के सेवन पर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (न्छव्क्ब्द्ध 2018 सर्वेक्षण के अनुसार बुजुर्ग लोगों की अपेक्षा युवाओं में मादक द्रव्य का सेवन अधिक है। यद्यपि अफीम एवं खात जैसे मादक द्रव्यों के पारम्परिक सेवन इसके अपवाद रहे हैं। ज्यादात्तर अनुबंधान कर्त्ता सलाह देते हैं कि किशोरों में (12-14 वर्ष) तथा (15 से 17 वर्ष) मादक द्रव्यों के सेवन के ज्यादा करने खतरे की अवधि रहती है तथा 18-25 वर्षों के युवाओं में इसका सेवन चरम पर होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हाल में भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की सीमा एवं पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मादक द्रव्यों क उपयोग की मात्रा निम्नानुसार हैः

• 10 से 75 वर्षों के बीच के 16 करोड़ लोग (14.6%) अलकोहल के चालु उपयोग कर्त्ता हैं जिसमें से 5.2% अलकोह आश्रित हैं।

• करीब 3% करोड़ लोग (2.8%) भांग उपयोग कर्त्ता हैं तथा 72 लाख लोग भांग उपयोग की समस्याओं से पीड़ित हैं।

• कुल मिलाकर ओपियड उपयोग कर्त्ता 2.06% हैं तथा करीब 0.55% (60 लाख) लोगों को उपचार/स्वास्थ्य सेवा की आश्यकता हैं।

• वर्त्तमान में सिडेटिव के 1.18 करोड़ (1.08%) उपयोग कर्त्ता हैं (गैर चिकित्सीत उपयोग)।

• नवजवान 0.58% निश्क्रिय उपयोग कर्त्ता की तुलना में बच्चों एवं किशोरों यह प्रतिशत 1.7 है।

• यह अनुमान है कि करीब 8.5 लाख लोग ड्रग की सूई लेते हैं (च्प्क दृ व्यक्ति जो ड्रग की सूई देते हैं)।

मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के वृह्द प्रसार से बच्चों को संरक्षित करना भारत द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक है। सरकारी एवं प्राईवेट दोनों एजेसियों की हाल की रिपोर्ट दर्शाती है कि नवजवान बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन एवं दुरूपयोग के प्रचलन में वृद्धि हुई है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों तथा प्रचलित सहकमियों एवं सामाजिक दबावों के विरूद्ध प्रतिरोधों को विकसित करते की आवश्यकता हैं । भारत में साक्षरता की दर कम होने के कारण लिखित जानकारी की अपेक्षा नुक्कड़ नाटकए पोस्टरए चलचित्रों एवं टीवी आदि के माध्यम से इससे होने वाले बुरे प्रभाव को प्रदर्शित किया जाना चाहिएए साथ ही नशा करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितिए लिंगए धार्मिक विश्वासए उपसंस्कृति एवं पारिवारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को अपनाया जाना चाहिये। शिक्षा देने के लक्षित समूहों में कॉलेजए विश्वविद्यालयों के युवा छात्रोंए छात्रावासों में रहने वाले छात्रोंए कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगोंए औद्योगिक श्रमिकोंए ट्रक चालकों एवं रिक्शा चालकों को अधिक सम्मिलित किया जाना चाहिए। मादक पदार्थों के सेवन की रोकथम का एक महत्वपूर्ण उपाय वैधानिक प्रयास है। ब्रिटिशकाल में 1893 सर्वप्रथम रायल आयोग का गठन कर मादक पदार्थो के सेवन की समस्या की रोकथाम का कदम उठाया गया। सरकार द्वारा 1985 में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथम के लिए 'द नारकोटिकए ड्रग्स व साइकोट्रापिक सब्सटसिज एक्ट' बनाकर 14 नवम्बर 1985 से लागू किया गया। जिसके उलंघन पर कठोर कारावास एवं जुर्माना दोनों को निर्धारित किया गया है। इस कानून की सफलता के लिए नियमों का कठोरता से पालन करने के साथ मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों तस्करों एवं षड़यंकारियों को पकड़नेमें जनता का सहयोग भी लिया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना होगा एवं इसके क्रय विक्रय को पूर्ण रूप से रोकना अनिवार्य करना होगा । व्यसन को रोकने में चिकित्सकों की अहम् भूमिका होती है। बाजार में मिलने वाली नींद की दवाइयोंए अवसाद विरोधी दवाइयोंए दर्दनाक दवाइयों और खांसी की दवाइयों में पाये जाने वाले पदार्थ कुछ समय तक नियमित सेवन से व्यक्ति को लती बना देते है। अतः द्रव्यों के औशध निर्देश देने सम्बन्धी अभिवृतियाँ सकारात्मक होनी चाहियेए अर्थात् चिकित्सक को यह स्पष्ट रूप बताना चाहिये कि रोगी द्रव्यों के अतिरिक्त प्रभावों की अवहेलना नहीं करे एवं बिना चिकित्सकीय परामर्शा के दवा लेने में सतर्कता बरते । शिक्षा और चिकित्सा के समान व्यसन की रोकथाम में विभिन्न सामाजिक समूहों के सहयोग की अवहेलना नहीं की जा सकती। सामाजिक उपायों में परिवार नातेदारए मित्र और स्वैच्छिक संगठन सम्मिलित हैं। माता-पिता की उपेक्षाए अधिक विरोध व वैवाहिक असामंजस्य व्यक्ति को व्यसन की ओर ले जानेवाले प्रमुख कारण हैं। अतः माता-पिता को चाहिये कि वे पारिवारिक पर्यावर ण को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें जिससे कम से कम बच्चे घर के बाहर रहकर मादक पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित नहीं होंगे। माता-पिता को बच्चे के असामाजिक व्यवहार तथा विपथगामी व्यवहार जैसे अध्ययन व अभिरूचियों आदि क्रियाओं में कम रूचिए गैर जिम्मेदार व्यवहारए चिड़चिड़ापनए आवेगी व्यवहारए व्यग्रताए घबराहट की मुखाकृति आदि को देखकर कारणों का पता लगाना चाहिये। यदि माता-पिता सामाजिक और नैतिक प्रतिमानों की पालना करें तो बच्चा भी अवश्य करेगा। अतः सामाजिक सुरक्षाए परिवार के निर्णयों में शामिलकर सामाजिक पर्यावरण को स्नेहपूर्ण बनाकर भी व्यसन की स्थिति को रोका जा सकता है। शिक्षा जागरूकता सूजन ड्रग आश्रित व्यक्तियों की पहचानए काउन्सेलिंगए उपचार एवं पुनर्वास करना तथा सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण करना है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है उसे एन.ए.पी.डी.डी.आर. की क्रिया कलापों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौपी गयी है। एन.पी.डी.डी.आर. के अन्तर्गत एन.आई.एस.डी की क्रिया कलापों में से एक प्रमुख कार्य विभिन्न लक्ष्यित समूहों को ऑरियेंटेशन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करसमस्या के समाधान हेतु क्रियान्वित किए जा सकने योग्य उपाय:

1 मादक द्रव्यों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए तथा मादक द्रव्यों की उपलब्धता की निगरानी व उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

2 नशे के प्रति संवेदनशील युवाओं हेतु नशामुक्ति और परामर्शी केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

3 सकारात्मक विकल्पों जैसे कि खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेनाए संगीत सीखना आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को रचनात्मक क्रियाओं में संलग्न किया जा सके।

4 निवारक शिक्षाए जागरूकता सृजन तथा प्रभावित व्यक्तियों का उपचार और पुनर्वास जैसी एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी जानी चाहिए।

5 मादक द्रव्यों से संबंधित विधानोंए अधिनियमों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता के विषय में जानने हेतु विश्वसनीय सर्वेक्षण एवं प्रभाव आकलन अध्ययन सम्पादित होने चाहिए।

6 विद्यालयों और महाविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों की सहायता से मादक द्रव्यों के प्रयोग के दुष्परिणामों के संदर्भ में विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता का सृजन करना चाहिए तथा इस संबंध में सेमिनारों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।

7 नशे को कलंक के रूप में प्रस्तुत न करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ताकि युवाओं में हेल्पलाइन नम्बरों एवं नशामुक्ति और परामर्शी केन्द्रों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो सकता है। इसमे स्कूल एवं कॉलेज के छात्र एवं शिक्षकए जेलों के कर्मचारीएपुलिस सुधार संस्थान एवं बाल संरक्षण संस्थान पी.आर.आई.एन.वाई के एवं एन.एस.एस. आदि शामिल हैं ताकि मादक द्रव्य दुरूपयोग संबंधी मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रभावी अन्तः क्षेप मोडुल्स का निर्माण किया जाए तथा रणनीति बनाया जाए तथा सेवा डिलिवरी में गुणात्मक सुधार लाया जाए।

एन.ए.पी.डी.डी.आर. का मूल आधार सर्वभौमिक निवारक उपायों को प्रदान करता है जो मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक या विलम्ब करने के उद्देश्य से संदेशों एवं कार्यक्रमों के द्वारा पूरी जनसंख्या को संबोधित करता है। यह प्रयास लोगों के अपने सेटिंग में मादक द्रव्यों के उपयोग की समस्या को रोकने के लिए अपेक्षित सूचना एवं कौशल सूलभ कराकर मादक द्रव्यों के सेवन की शुरूवात को रोकेगा। इस प्रकार उपरोक्त प्रयासों के द्वारा एन.ए.पी.डी.डी.आर के निम्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना हैः

1. व्यक्तिए परिवारए कार्यस्थल तथा पूरे समाज में मादक द्रव्यों के सेवन गलत प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करता तथा शिक्षित करना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा मे वापस लाने के लिए उनके कलंक तथा मादक द्रव्यो पर आश्रित समूहों एवं व्यक्तियों के बीच विभेद को कम करना।

2. इन उद्देश्यों के लिए कार्य करने हेतु मानव संसाधन को विकसित करना तथा उनकी क्षमता को निर्माण करना

3. उद्देश्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसंधानए प्रशिक्षणए प्रलेखनए अन्वेषण तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को सग्रहण सुलभ करना

4. नशेड़ियों की पूरी तरह ईलाज के लिए पहचानए अभिप्रेरणाए काउंसेलिंगए डी.एडिक्शनए आफ्टरकेयर तथा उनके पुर्नवास हेतु समग्र समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करना

मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण के क्षेत्र में एन.सी.डी.ए.पी. की मुख्य क्रियाकलाप निम्न हैः

- मादक द्रव्य मांग कमी करने के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के विविध स्तरों की क्षमता निर्माण
- सूचना का नवीनीकरण तथा समुचित डेटा बेस एवं मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना।
- स्थानीयए क्षेत्रीयए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सब्सटेंस डिमाण्ड रिडक्शन के क्षेत्र में लिंकजेज का विकासए एडवोकेश सुलभ करवाना तथा नेटवर्किंग सुविधा का विकास करना

• घटना के नियंत्रित करने के लिए निकट के शिक्षान हेतु कार्यक्रम विकसित करना तथा मादक द्रव्य एवं एल्कोहल दुरूपयोग के बंरे प्रभावो के बारे में जानकारी का प्रसार करनाए

निष्कर्ष : आकड़ों को देखने पर यह सपष्ट हैं की भारत मे द्रव्य व्यसन की समस्या भयावह हैं और युवा वर्ग इससे ज्यादा ग्रसित हैं एजिसका परिणाम यह हुआ हैं की व्यक्ति का निजी जीवन तनाव ग्रस्त हुआ हैं और युवा समाज की दिशा विघटित हुई हैं । भारत मे व्यापक पैमाने पर प्रचलित विविध नियमों और कानूनों को सशक्त तरीके से लागू करने की आवश्यकता हैं । व्यसनी के साथ सकारात्मक तरीके व्यवहार ही संभवतः उसको दिशा दे सकता हैं और व्यसन से मुक्त कर सकता हैं ।

संदर्भ :

1 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1575882

2 https://hi.nhp.gov.in/

3 https://hi.wikipedia.org/wiki/ नशीली दवा का सेवन

4 https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/rampur/ नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकार हैं

5 https://www.bhaskar.com/news/नशीले पदार्थ की रोक का कानून कैसे काम करता है

6 https://www.jagran.com/blogs/pankaj ध्नशे की बढ़ती सामाजिक स्वीकृति

7 https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/(14 श्रंद 2021) योगए नृत्य मार्शल आर्ट्स से हम अपने को रख सकते हैं स्वस्थ